भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 239
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

239. श्री दिलीप शइकीयाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को विश्व स्तरीय जांच एजेंसी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में शामिल विभिन्न संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): 26/11 मुम्बई हमलों के दृष्टिगत, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की स्थापना एक केंद्रीय आतंकवाद-रोधी विधि प्रवर्तन संस्थान के रूप में की गई थी।

यह अभिकरण, 'एनआईए अधिनियम, 2008' की अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित मुद्दों आदि को प्रभावित करने वाले अपराधों का अन्वेषण और उनका अभियोजन करता है।

एनआईए को एक विश्व स्तरीय जांच एजेंसी बनाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने/ उसके लिए खतरा उत्पन्न करने वाले अपराधों की रोकथाम, जांच और अभियोजन में, एनआईए की जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक पूरा करते हुए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/प्रयास किए गए हैं:

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 239, दिनांक 02.12.2025

(i) सरकार ने 'एनआईए (संशोधन) अधिनियम, 2019' के माध्यम से एनआईए को भारत से बाहर घटित उन अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति प्रदान की है, जिनमें भारतीय नागरिक अथवा भारतीय हित सम्मिलित होते हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद और शस्त्र अधिनियम, 1959 से संबंधित अपराधों का अन्वेषण करने के लिए एनआईए के अधिदेश में विस्तार भी किया गया है।

(iii) एनआईए के पदचिह्न को देश के विभिन्न हिस्सों में 21 शाखा कार्यालय स्थापित करके पूरे भारत में विस्तारित किया गया है, जिसमें 02 क्षेत्रीय कार्यालय (गुवाहाटी और जम्मू) और मुख्यालय दिल्ली में हैं।

(iv) वर्तमान में, एनआईए में कुल 1901 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 769 पदों की स्वीकृति पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई है।

(v) सरकार ने देशभर में 52 एनआईए विशेष न्यायालय नामोदिष्ट किए हैं, जिनमें से रांची, जम्मू एवं मुंबई स्थित 03 एनआईए विशेष न्यायालयों को अनन्य रूप से, एनआईए द्वारा जांच किए गए अनुसूचित मामलों के विचारण हेतु, विशेष न्यायालयों के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

(vi) बड़ी मात्रा में आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाने और विभिन्न अन्वेषण प्रक्रियाओं, पद्धतियों के स्वचालन और डिजिटलीकरण को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय टेरर डाटा फ्यूजन एंड एनालाइसिस सेंटर (एनटीडीएफएसी) की स्थापना की गई है, जिससे पर्यवेक्षण सुदृढ़ होगा और कार्य कुशलता, निरंतरता तथा जवाबदेही बेहतर होगी।

(vii) सरकार ने जनवरी, 2018 में एनआईए में, आईएसआईएस जांच अनुसंधान प्रकोष्ठ (आईआईआरसी) का गठन किया है; और आतंकवाद के अन्य स्वरूपों को शामिल करते हुए इसके दायरे में वृद्धि करने के साथ ही इसका नाम बदलकर आतंकवाद-रोधी अनुसंधान प्रकोष्ठ (सीटीआरसी) कर दिया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 239, दिनांक 02.12.2025

(viii) एनआईए में, 'मानव तस्करी-रोधी प्रभाग (एएचटीडी)', 'साइबर आतंकवाद-रोधी प्रभाग (एसीटीडी)', 'वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) प्रकोष्ठ', 'वित्तीय विश्लेषण इकाई (एफएयू)' और विधिक विशेषज्ञों सहित एक विशेष प्रकोष्ठ जैसे विशिष्ट प्रभागों का गठन भी किया गया है।

(ix) विदेशी क्षेत्राधिकार वाली जांच से निपटने में, भारत की क्षमता को संस्थागत बनाने के लिए, 2024 में एनआईए में एक समर्पित 'विदेशी जांच अनुरोध इकाई (एफआईआरयू)' की स्थापना की गई है।

(x) आतंकवाद के वित्तपोषण और उच्च गुणवत्ता 'जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन)' के मामलों के अन्वेषण के लिए एनआईए को केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसके लिए एनआईए में एक आतंकवाद वित्तपोषण और जाली करेंसी (टीएफएफसी) प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, ताकि केंद्रित जांच की जा सके।

(xi) पूरे विश्व के देशों के साथ समन्वय हेतु, गृह मंत्रालय की ओर से एनआईए ने वर्ष 2022 के दौरान मंत्री स्तरीय सम्मेलन "नो मनी फोर टेरर (एनएमएफटी)" के तृतीय संस्करण का आयोजन किया। इस सम्मेलन में, 78 देशों तथा 16 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(xii) पिछले 05 वर्षों के दौरान, एनआईए ने विदेशी संस्थाओं के सहयोग से एनआईए के अधिकारियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस, केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए क्षमता संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीबीटीपी) आयोजित किए हैं। पिछले 03 वर्षों के दौरान एनआईए ने विदेशी अधिकारियों के लिए भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(xiii) हाल ही में, सरकार ने फॉरेंसिक विशेषज्ञता के क्षेत्र में एनआईए अधिकारियों के क्षमता संवर्धन के लिए, एनआईए और 'राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू)' के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अनुमोदन प्रदान किया है। मार्च, 2025 में दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(xiv) एफआईसीएन से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त कार्यबल (जेटीएफ) गठित किया गया है। एनआईए ने केंद्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न विधि प्रवर्तन संस्थाओं (एलईए) के साथ-साथ बांग्लादेश और नेपाल सहित पड़ोसी देशों के पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ताकि एफआईसीएन की तस्करी से निपटा जा सके।

(xv) राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले/उसके लिए खतरा उत्पन्न करने वाले अपराधों की रोकथाम, जांच और अभियोजन में एनआईए की क्षमता को बढ़ाने के लिए, विश्व की सर्वोत्तम आतंकवाद-रोधी एजेंसियों की कार्यप्रणाली के मानदंडों के अनुरूप एनआईए की क्षमताओं को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।

इन कदमों के परिणामस्वरूप, एनआईए की क्षमताओं को, एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में विकसित करने के लिए, बहुत सुदृढ़ किया गया है, जो प्रभावी तरीके से अपने जनादेश का निर्वहन करने में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर रही है। एनआईए अब एक वैश्विक रूप से प्रसिद्ध जांच एजेंसी के रूप में उभरी है, जिसने, स्थापना के बाद से कुल 692 पंजीकृत मामलों में से, 172 मामलों में सुनाए गए निर्णयों में 92.44% की दोषसिद्धि दर अर्जित की है।

(ख) और (ग): भारत सरकार किसी भी प्रकार की विधिविरुद्ध क्रियाकलापों, जो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, के खिलाफ 'शून्य-सहिष्णुता की नीति' निर्वाहित करती है ।

भारत सरकार ने 'विधिविरुद्ध क्रियाकलापों (निवारण) अधिनियम, 1967' के प्रावधानों के अनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त पाए जाने वाले विभिन्न संगठनों के विरुद्ध निरंतर और कड़ी कार्रवाई की है।

तदनुसार, पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने 23 संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया है। सूची अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 239, दिनांक 02.12.2025

अनुलग्नक 'ए'/पृ-1

पिछले 05 वर्षों के दौरान विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित संगठनों की सूची:

Sl. No.	**Name of Unlawful Association**
1.	स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (एसआईएमआई)
2.	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए)
3.	ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)
4.	मैतेई चरमपंथी संगठन, अर्थात्- (i) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ) (ii) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसका सशस्त्र विंग, मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए) (iii) पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पीआरईपीएके) और इसका सशस्त्र विंग, 'रेड आर्मी'। (iv) कांग्लेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसका सशस्त्र विंग, जिसे 'रेड आर्मी' भी कहा जाता है (v) कांग्ले याओ कांबालुप (केवाईकेएल) (vi) को-ऑर्डिनेशन कमेटी (सीओआरसीओएम) (vii) अलायन्स फॉर सोशल यूनिटी कांग्लेईपाक (एएसयूके)
5.	नैशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी)
6.	हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)
7.	लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई)
8.	नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खाप्लांग) [एनएससीएन (के)]
9.	इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ)

10.	जमात-ए-इस्लामी (जेईआई), जम्मू और कश्मीर
11.	जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट (मोहम्मद यासीन मलिक फैक्शन) (जेकेएलएफ-वाई)
12.	सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे)
13.	पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगी, संबंधी या फ्रंट जिसमें रीहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), अखिल भारतीय इमाम्स काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रीहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं।
14.	जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी)
15.	मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम गुट)/(एमएलजेके-एमए)
16.	तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर (टीईएच)
17.	मुस्लिम काँफ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) (एमसीजेके-बी)
18.	मुस्लिम काँफ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) (एमसीजेके-एस)
19.	जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ)
20.	जम्मू और कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग (जेकेपीएफएल)
21.	जम्मू और कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के चार गुट, अर्थात्: जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद टोटा), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान @सोपोरी) और जेकेपीएल (अज़ीज़ शेख) बी याकूब शेख के नेतृत्व में
22.	जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम)
23.	अवामी एक्शन कमिटी (एएसी)

*****